न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 10/2018
दायर दिनांकः 06.08.2018
निर्णय दिनांक 05.06.2026

—: अनवान :—

रवि कन्ट्रेक्शन प्रो नारायणसिह पिता विजयसिह जी जाति राव निवासी सुखाडिया सर्कल उदयपुर जरिये पावर आफ अर्टानी हाल्डर गजेन्द्रसिह पिता भारतसिह जी जाति शक्तावत राजपुत, उम्र 30 वर्ष निवासी सिहाड, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

— अपीलांट

बनाम

1. नारायणसिह पिता देवीसिह जी, जाति झाला राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी करोली (पिपलिया), तहसील नाथद्वारा, जिला राजसंमद
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब नाथद्वारा, जिला राजसंमद

— रेस्पोडेंट्गण

आदेश विरूद्ध आदेश तहसीलदार नाथद्वारा, पत्रावली संख्या 180/2002, दिनाक 18.03.2002 मे पारित आदेश के विरूद्ध

उपस्थित :—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02

3— श्री फतहलाल बोहरा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार, नाथद्वारा दिनांक 18.03.2002, प्रकरण संख्या 180/2002 से व्यथित होकर कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम करोली, पटवार हल्का करोली, तहसील नाथद्वारा मे आरजी नम्बर 791 रकबा 2 बिघा 17 विस्वा चारागाह भुमि राजस्व रेकोर्ड मे दर्ज थी, जिसके सम्बन्ध मे अधिनस्थ न्यायालय ने 18.03.2002 को अधिनस्थ न्यायालय ने दिनाक 01.01.1989, से पूर्व का कब्जा रिपोर्ट पटवारी व पी 14 एवं संरपच के प्रमाण पत्र से कब्जा मानकर नियमन करने का आदेश पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भु राजस्व/ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भुमि का अकृषि प्रयोजनार्थ के लिये संपरिवर्तित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नियम 1971 के तहत संसोधित नियमो के परिपत्र संख्या प 9 (6) राज, 6/2000/2016, दिनाक 16.10.2001 के अर्न्तगत प्रीमयम एवं शास्ति प्रभारित कर नियमन किये जाने योग्य मान कर, अधिनस्थ न्यायालय ने राजकीय चारागाह भूमि मे संपरिर्वन, आदेश जारी कर उपरोक्त रेस्पोडेन्ट सख्या 02 ने नियमन का आदेश पारित कर दिया। जबकि उक्त नियमन योग्य नहीं होते हुए भी तहसीलदार नाथद्वारा ने संपरिवर्तन आदेश पुर्णरूप से आदेश मनमाने जारी किये गये जबकि चारागाह भूमि सम्पुर्ण गाव कि गोचर भुमि होकर संम्पुर्ण गाववासी एवं गाव के मवेशीयो का उक्त भुमि पर अधिकार होकर उक्त भुमि चारागाह भुमि है। तथा चारागाह भुमि होते हुए भी चारागाह भुमि का नियमन किया गया। चारागाह भुमि का नियमन किया गया जो कि नियमो अधिनियमो परिपत्रो एवं आदेश के सर्वथा विपरित होकर मनमाने तरीके से चारागाह भुमि का नियमन किया गया जो काबिल खारिज एवं निरस्त योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट सख्या 01 का चारागाह भूमि पर न तो 1989 से पुर्व का कोई आधिपत्य /अतिक्रमण था न ही इस सम्बन्ध मे कोई रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट सख्या 01 ने वक्त नियमन पेश किया गया। मात्र संरपच पटवारी से मिलीभगत कर अतिक्रमण के सम्बन्ध मे पर्चा मोका एवं संरपच से प्रमाण पत्र जारी करवाये जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का स्वयं के मकान पिपल्या मे अन्यत्र स्थान पर बने हुए हे, जो कि उसके स्वयं का होकर रेस्पोडेन्ट सख्या 01 उसके परिवार सहित निवासरत है ग्राम पचांयत के संरपच द्वारा कब्जे कि तस्दीक दी एवं तहसीलदार ने नियमन कि कार्यवाही कि गई ओर संपरिवर्तन आदेश पारित करवाये गये जबकि खसरा गिरदावरी मे भी रेस्पोडेंन्ट सख्या 01 का किसी प्रकार का कोई कब्जा दर्ज नही हे तथा जो पर्चा मोका बनाया गया, उसमे भी रेस्पोडेन्ट सख्या 01 ने, अपने मिलने वाले हस्ताक्षर एवं अगुंठे लगवा दिये यह पुर्ण रूप से प्रमाणित हे कि रेस्पोडेन्ट सख्या 01 ने मिलिभगत कर बेशकिमति चारागाह भुमि, रेस्पोडेन्ट सख्या 01 ने अपने पक्ष मे नियमन कर दी जो काबिल निरस्त योग्य हैं। राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप 6) दिनाक 6/2000, के द्वारा चारागाह भुमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश दिये गये जिसके सम्बन्ध मे अतिक्रमणो के नियमन के सम्बन्ध मे राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि चारागाह भूमि पर 01.01.1970 से कब्जा रेकोर्ड से प्रमाणित होना चाहिये के स्थान पर 01.01.1972 का कब्जा रेकोर्ड से प्रमाणित होना चाहिये तथा चारागाह भुमि के नियमन के लिये यह शर्त है कि जब 02 वर्षो का कब्जा रेकोर्ड से प्रमाणित होना चाहिये परन्तु इस सम्बन्ध मे ऐसे कोई दस्तावेज तथा रेकोर्ड प्रस्तुत नही हुए फिर भी तहसीलदार नाथद्वारा ने नियमन कर दिया। राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या प 9 (6) राज, 6/ 2000/2016 दिनाक 16.10.2001 के अनुसार, उन्ही अतिक्रमण एवं आधिपत्य को नियमन किया जा सकता है, कि जहा पर रेकोर्ड से कब्जा साबित हो, इसके अलावा अतिक्रमण को नियमन नहीं किया जा सकता तथा रेस्पोडेन्ट सख्या 01 के प्रकरण में उक्त सरकुलर चस्पा नहीं होते है तथा वे अतिक्रमी भी नहीं है इसलिये उनका अतिक्रमण नियमन योग्य भी नहीं है इसलिये रेस्पोडेन्ट सख्या 01 के पक्ष में किया गया नियमन निरस्त योग्य हैं। 1971 सम्परिवर्तित नियम के तहत संशोधित नियमो के परिपत्र सख्या प. 9(6) 2000/ 2016 दिनाक 16.10.2001 में दर्शाई गई शर्त इस परिवर्तन के साथ ही रेस्पोडेन्ट सख्या 01 का कब्जा 01.01.1989 से पूर्व से लगातार एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा हो. ऐसे मामलो मे उपरोक्त शर्तो कि पुर्ति हो तो उनमे सम्बन्धित भुमि को चारागाह से निकाल

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कर सवाई चक दर्ज कर लिया जाये तत्पश्चात उक्त नियमो एवं प्रावधानो के अनुसार कब्जे को नियमित करने का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा प्रसारित कर दिया जाये, परन्तु उक्त प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही नही हुई तथा भुमि सवाई चक भी दर्ज नही हुई। उक्त सरकुलर के अनुसार अतिक्रमी भुमिहीन कृषक होना चाहिये ओर विचाराधीन नियमन का सर्मथन ग्राम पंचायत ने बहुमत से पारित किया गया हो इस शर्त के अनुसार भी रेस्पोडेन्ट सख्या 01 का अतिक्रमण नियमन योग्य नही है, रेस्पोडेन्ट सख्या 01 न तो भुमिहीन कृषक हो ओर न ही रेस्पोडेन्ट सख्या 01 के प्रकरण मे सम्बन्धित ग्राम पंचायत ने बहुमत से नियमन का सर्मथन किया हो ओर न ही तहसील गो आंवटन सलाहकार समिति मामले के नियमन के पक्ष मे थी, ओर न ही तहसील भु आंवटन सलाहकार समिति से कोई राय प्राप्त की गई हो ओर न ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत से बहुमत से नियमन का समर्थन प्राप्त किया हो। उपरोक्त आधारो पर भी रेस्पोडेन्ट सख्या 01 का नियमन अवेध होकर, काबिल निरस्त योग्य हे। अतः प्रार्थना है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनाक 29.01.2002 को निरस्त फरमाया जावे तथा भुमि चारागाह मे दर्ज कराई जाये।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंटगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री फतहलाल बोहरा ने उपस्थिति दी। लेकिन लगातार नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार करते हुए धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम करोली, पटवार हल्का करोली, तहसील नाथद्वारा मे आरजी नम्बर 791 रकबा 2 बिघा 17 बिस्वा चारागाह भुमि राजस्व रेकोर्ड मे दर्ज थी, जिसके सम्बन्ध मे अधिनस्थ न्यायालय ने 18.03.2002 को अधिनस्थ न्यायालय ने दिनाक 01.01.1989, से पूर्व का कब्जा रिपोर्ट पटवारी व पी 14 एवं संरपच के प्रमाण पत्र से कब्जा मानकर नियमन करने का आदेश पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भु राजस्व/ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भुमि का अकृषि प्रयोजनार्थ के लिये संपरिवर्तित नियम 1971 के तहत संसोधित नियमो के परिपत्र संख्या प 9 (6) राज, 6/2000/2016, दिनाक 16.10.2001 के अर्न्तगत प्रीमयम एवं शास्ति प्रभारित कर नियमन किये जाने योग्य मान कर, अधिनस्थ न्यायालय ने राजकीय चारागाह भूमि मे संपरिर्वन, आदेश जारी कर उपरोक्त रेस्पोडेन्ट सख्या 02 ने नियमन का आदेश पारित कर दिया। जबकि उक्त नियमन योग्य नहीं होते हुए भी तहसीलदार नाथद्वारा ने संपरिवर्तन आदेश पुर्णरूप से आदेश मनमाने जारी किये गये जबकि चारागाह भूमि सम्पुर्ण गाव कि गोचर भुमि होकर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

संम्पुर्ण गावॅवासी एवं गाव के मवेशीयो का उक्त भुमि पर अधिकार होकर उक्त भुमि चारागाह भुमि है। तथा चारागाह भुमि होते हुए भी चारागाह भुमि का नियमन किया गया। चारागाह भुमि का नियमन किया गया जो कि नियमो अधिनियमो परिपत्रो एवं आदेश के सर्वथा विपरित होकर मनमाने तरीके से चारागाह भुमि का नियमन किया गया जो काबिल खारिज एवं निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थना है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनाक 29.01.2002 को निरस्त फरमाया जावे तथा भुमि चारागाह मे दर्ज कराई जाये।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह अपील रवि कंस्ट्रक्शन, प्रोपराइटर नारायण सिंह, पिता विजय सिंह जी, जाति राव, निवासी सुखाड़िया सर्कल, उदयपुर, जरिए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर गजेंद्र सिंह, पिता भारत सिंह जी, जाति शक्तावत राजपूत, निवासी वल्लभनगर, जिला उदयपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.03.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 01 वावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किए गए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा दिनांक 18.03.2002 को अतिक्रमी श्री नारायण सिंह, पुत्र श्री देवी सिंह राजावत के पक्ष में देवी सिंह राजपूत के पक्ष में ग्राम करोली, आराजी नंबर 791 मीन, रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, किस्म चारागाह में से 253.71 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किए जाने का आदेश पारित किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के अनुसार पटवारी की रिपोर्ट/पर्चा मौका संलग्न है, जिसमें यह बताया गया है कि देवी सिंह राजपूत का आवेदित भूमि पर मकान न होकर बाड़ा बना हुआ है जो 19 साल पुराना है। साथ ही आवेदक ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसमें भी उसके द्वारा मकान पर भी राइट का चिन्ह अंकित किया गया है तथा बाड़ा पर भी राइट का चिन्ह अंकित किया गया है। जो मौका पर्चा पटवारी ने दो अन्य व्यक्तियों के साथ बनाया है, उसमें भी उसके द्वारा इस पर बाड़ा बना होना अंकित किया गया है। तथा इस बाड़े का नियमन तहसीलदार द्वारा किया गया है। साथ ही इसमें यह कहीं भी अंकित नहीं है कि यह भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से कितनी दूरी पर स्थित है।

राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 1971 में जो संशोधन किया गया था, वह इस सद्भावी उद्देश्य से किया गया था कि जो व्यक्ति राजकीय तथा चारागाह भूमियों पर मकान बनाकर वर्ष 1989 से पूर्व परिवार सहित निवास कर रहे हैं, उनको राहत प्रदान करने के लिए उस

अतिक्रमित भूमि का, जिस पर उन्होंने मकान बनाया गया है, उसका नियमन कर दिया जाए। परंतु यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखकर यह स्पष्ट रूप से, दस्तावेजी रूप से साबित हुआ है कि अतिक्रमी श्री नारायण सिंह द्वारा इस चारागाह भूमि पर एक बाड़ा मात्र बना रखा था, यानी कब्जा उस पर किया गया था, किसी भी प्रकार का निवास हेतु मकान बनाया हुआ नहीं था न ही उसके द्वारा कोई दस्तावेज ऐसा अधीनस्थ पत्रावली में प्रकट हुआ है, जैसे कि वोटर लिस्ट, राशन कार्ड, बिजली का बिल आदि हो, जिससे यह साबित होता हो कि वह इस आवेदित भूमि पर बरसों से परिवार सहित निवास कर रहा हो। साथ ही जो नियमन आदेश दिनांक 18.03.2002 जारी किया गया है, इसके बिंदु संख्या 13 में यह स्पष्ट प्रावधान किया जाना होता है कि जो नियमित की जा रही भूमि है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बिंदु से कितनी दूर होनी चाहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से कितनी दूर होनी चाहिए, सड़क के मध्य बिंदु से कितनी दूर होनी चाहिएय इसका कोई भी अंकन नहीं किया जाकर सभी स्थानों को अधीनस्थ न्यायालय ने खाली रखा गया है। यहाँ पर आवासीय मकान के स्थान पर बाड़े का नियमन किया गया, जो कि नियमों की मंशा के अनुरूप नहीं है, तथा नेशनल हाईवे से दूरी का अंकन कहीं भी नहीं किया गया है जो एक संदेह उत्पन्न करता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियमों की मंशा के अनुरूप नहीं पाए जाने से निरस्त किए जाने योग्य पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन फलस्वरूप एतद्द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.03.2002 निरस्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश दिनांक 18.03.2002 निरस्त किया जाता हैं।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमन्द